



बिहार शिक्षा परियोजना, गया

शिक्षा भवन, गया-823001

Web :- www.educationgava.in, Email Id- bedc@ava@gmail.com

पत्रांक: PVT/78/2017-18/ 238]

प्रेषक,

असगर आलम खाँ,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
—सह—सदस्य सचिव,
जिला प्रस्त्रीकृति समिति, गया।

प्रेषित,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक,
जी०डी० गोयनका पब्लिक स्कूल,
ग्राम—रसलपुर, गया—पटना रोड,
थाना— चंदौती, गया— 823003
बिहास।

गया, दिनांक 21.03.2017

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा—18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम—11, उपनियम—05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्त्रीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन —पत्र, दिनांक 26.09.2017 के आलोक में RATHAUR EDUCATIONAL TRUST के अधीन संचालित विद्यालय **G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL, Vill- Rasalpur, Gaya-Patna Road, P.S. Chandauti, Gaya-823003** को कक्षा—01 से कक्षा—08 तक संचालन हेतु 31.03.2019 तक की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्त्रीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्त्रीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-

1. प्रस्त्रीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा—08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक—1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली—2011, (अनुलग्नक—02) के प्रावधानों का आवश्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा—01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन ज्ञान प्रदान क्षेत्र के कमज़ोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों (EWS) का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस

Jaini
Principal उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस DAV PUBLIC SCHOOL Tapin North - C. C. सानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

Remgarh (Jharkhand) 4. कोडिका—03 में उद्घृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के धारा

उपधारा— 02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानवालौ राशि के लिए विद्यालय अलग बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाइटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कौपिटेशन फीस प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी माता—पिता या अभिभावक की जीवनी दस्तावेज़ नहीं किया जाएगा।

प्राचार्य / Principal
कोवि क्रमांक—02 / K.V. No.—02
बैली रोड, पटना—14 / Bailey Road, Patna-14

CHAIRMAN
Rabinch Kumar
G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL, GAYA





बिहार शिक्षा परियोजना, गया

शिक्षा भवन, गया-823001

Web :- www.educationgava.in, Email Id- bevcgava@gmail.com

10

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अधिकृति के बाट तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-
 - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक मे प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप दिया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 31 मार्च, 2019 तक अनिवार्य रूप से निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - vii. विद्यालय के सभी शिक्षक अधिनियम की धारा-24 की उपधारा-01 मे प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्देश करेंगे।
 - viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निर्णय के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है-

Principals विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल :

DAV PUBLIC SCHOOL

Tapin North खेल कुल निर्मित क्षेत्र :

Ramgarh (Jharkhand)

ग. खेल के मैदान का संख्या :

घ. वर्गकक्षों की कुल संख्या :

छ. बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय :

ज. पेयजल की सुविधा :

झ. नद्याहन भोजन के लिए रसोई-घर :

ग. संचारहित पहुँच :

- 02.98 एकड़।

- 5295 वर्गमीटर *प्राचार्य / Principal*

- 01 (8 वर्गमीटर) क्षेत्र-02 / K.V. No.-02

- 48 वर्गकक्ष। *बेंकी रोड, पटना-14 / Bailey Road, Patna-14*

- 01 (25X25 वर्गफीट)।

- उपलब्ध है। (बालक-24, बालिका-24)।

- 24 नल (RO Water के साथ) *CHAIRMAN*

- आवश्यक नहीं।

Rabindra Unnao
G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL, GAYA

- 21 बस (GPS सुविधा सहित)।





बिहार शिक्षा परियोजना, गया

शिक्षा भवन, गया-823001

Web :- www.educationgava.in, Email Id- bepc@gava@gmail.com

८. शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय : -पर्याप्त मात्रा में, पुस्तकालय एवं साइंस प्रयोगशाला है।
९. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
१०. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
११. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
१२. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
१३. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, गया को भेजी जाएगी।
१४. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **G-0134/Pvt.S/2017** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
१५. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, गया के द्वारा समय-समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
१६. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
१७. अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
१८. प्रस्वीकृति हेतु उपलब्ध करायी गयी कोई भी जानकारी/सूचना यदि असत्य पाया गया तो इसका सम्पूर्ण उत्तराधिकार विद्यालय प्रबंधन का होगा और प्रस्वीकृति स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

अनुलग्नक: यथोक्त।

Jasvish
प्राचार्य / Principal

केंद्रीय क्रमांक-02 / K.V. No.-02
बैली रोड, पटना-14 / Bailey Road, Patna-14

20/11/17

Jasvish

Principal

DAV PUBLIC SCHOOL

Tapin North - C. C. L.

Ramgarh (Jharkhand) 3



विश्वासभाजन,

(असगर आलम खा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
-सह- सदस्य सचिव, जिला प्रशासनिक समिति
गया।